भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 831

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

.....

भूजल प्रबंधन

831. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भू-जल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना के कार्यान्वयन के क्या परिणाम रहे और तत्संबंधी आंकडे क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो भूजल के गंभीर चिंता का विषय बने रहने को देखते हुए आगे की कार्रवाई की क्या योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क), (ख) और (ग): भूमि जल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) स्कीम एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका देश में वर्ष 2007-08 से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों में पूरे देश के लिए जलभृत मैपिंग कार्य और सीजीडब्ल्यूबी की अन्य नियमित गतिविधियां जैसे भूजल स्तर और गुणवत्ता की मॉनीटरिंग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से आवधिक रूप से डायनेमिक भूजल संसाधनों का आकलन, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल निकासी का विनियमन और नियंत्रण, चुनिंदा जल की कमी वाले क्षेत्रों में कुछ प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं की शुरुआत करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वैज्ञानिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण कार्य करना आदि शामिल है।

जीडब्ल्यूएमआर स्कीम के तहत शुरू किए गए कुछ प्रमुख कार्यकलापों का सार निम्नलिखित है:-

i. इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य गतिविधियों में से एक राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) है जिसका कार्यान्वयन जलभृतों की ज्यामिति को निरूपित करने और चिह्नित करने तथा सतत् भूजल प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार करने के उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है। जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम दिनांक 31.03.2023 तक पूरा हो गया है और इसमें देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के उपायों के लिए जलभृत मैपिंग और

प्रबंधन योजनाओं को राज्य के साथ साझा किया जा रहा है। इस संदर्भ में शामिल क्षेत्रों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में प्रस्तुत किया गया है।

ii. इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा लगभग 1 लाख वर्ग किमी शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में हेली-बोर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उपयोग करके उच्च रिज़ॉल्यूशन जलभृत मैपिंग कार्य भी किया गया है जो पूर्ण हो चुका है।

iii. भूजल स्तर की मॉनीटरिंग- पूरे देश में फैले लगभग 26,000 मानीटरिंग कूपों के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर भूजल स्तर की मानीटरिंग की जाती है। जनवरी, अप्रैल/मई, अगस्त और नवम्बर माह के दौरान वर्ष में चार बार भूजल स्तर की मानीटरिंग की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा मानीटरिंग नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और भूजल स्तर मापन की स्वचालित प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

iv. भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग - लगभग 17,400 कुओं के नेटवर्क के माध्यम से वर्ष में एक बारगी भूजल गुणवत्ता की मानीटरिंग हेतु नमूने एकत्र किए जाते हैं। समुदाय को सुरक्षित भूजल प्रदान करने के लिए, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा विभिन्न राज्यों के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट समाधान प्रदान किए गए हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है।

v. सीजीडब्ल्यूबी और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से देश डायनेमिक भूजल संसाधन का आकलन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत डायनेमिक भू-जल की उपलब्धता, निष्कर्षण योग्य और निकाले गए भूजल के ब्यौरे का पूरे देश के लिए ब्लॉक स्तर पर आकलन और संकलन किया जाता है और भूजल से संबंधित कार्यों के उपयुक्त नीति निर्माण और निष्पादन के लिए इन परिणामों को प्रकाशित किया जाता है और विभिन्न अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ इसे साझा किया जाता है।

vi. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है जिसमें परियोजना की व्यापक रूपरेखा और अपेक्षित लागत का ब्यौरा प्रदान किया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मास्टर प्लान को उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

इन गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना को 31 मार्च 2026 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है और इसमें भूजल संसाधनों की मानीटरिंग, आकलन और विनियमन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अवसंरचनात्मक संरचना को सुदृढ़ करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

(घ): (ख) और (ग) के मद्देनजर में लागू नहीं।

*****

अनुलग्नक

"भूजल प्रबंधन" के संबंध में दिनांक 07.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनएक्यूआईएम के तहत राज्य-वार शामिल क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल क्षेत्र (वर्ग किमी)	कवरेज के लिए लक्षित क्षेत्र (वर्ग किमी)	मार्च तक कवरेज 2023 (वर्ग किमी)
1	अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश	8,249	1,774	1,774
2	आंध्र प्रदेश	1,63,900	1,41,784	1,41,784
3	अरुणाचल प्रदेश	83,743	4,703	4,703
4	असम	78,438	61,826	61,826
5	बिहार	94,163	90,567	90,567
6	चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश	115	115	115
7	छत्तीसगढ	1,36,034	96,000	96,000
8	दादरा एवं नगर हवेली	602	602	602
9	दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश	1,483	1,483	1,483
10	गोवा	3,702	3,702	3,702
11	गुजरात	1,96,024	1,60,978	1,60,978
12	हरियाणा	44,212	44,179	44,179
13	हिमाचल प्रदेश	55,673	8,020	8,020
14	जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	1,67,396	9,506	9,506
15	झारखंड	79,714	76,705	76,705
16	कर्नाटक	1,91,808	1,91,719	1,91,719
17	केरल	38,863	28,088	28,088
18	लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश	32	32	32
19	लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश	54,840	963	963
20	मध्य प्रदेश	3,08,000	2,69,349	2,69,349
21	महाराष्ट्र	3,07,713	2,59,914	2,59,914
22	मणिपुर	22,327	2,559	2,559
23	मेघालय	22,429	10,645	10,645
24	मिजोरम	21,081	700	700
25	नागालैंड	16,579	910	910
26	ओडिशा	1,55,707	1,19,636	1,19,636
27	पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश	479	454	454
28	पंजाब	50,368	50,368	50,368
29	राजस्थान	3,42,239	3,34,152	3,34,152
30	सिक्किम	7,096	1,496	1,496
31	तमिलनाडु	1,30,058	1,05,829	1,05,829
32	तेलंगाना	1,11,940	1,04,824	1,04,824
33	त्रिपुरा	10,492	6,757	6,757
34	उत्तर प्रदेश	2,46,387	2,40,649	2,40,649
35	उत्तराखंड	53,484	11,430	11,430
36	पश्चिम बंगाल	88,752	71,947	71,947
	कुल	**3294105**	**2514437**	**2514437**

****